

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत पूर्व में प्रकाशित नियोजन विज्ञापन श्री सुशील कुमार पांडे पिता दिनेश्वर पांडे एवं 12 अन्य (दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2019 को प्रकाशित) के आलोक में श्री पवन कुमार ओझा पिता राम प्रसाद ओझा पति अर्चना देवी दामाद श्री सुदामा पांडे निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रैयती) खाता सं. 420, 419, 418, 422, 95, 244, 161, 299, 296, 227, 47, 79, 84, 48 & 297 के अधीन प्लॉट सं: 2884, 2895, 2874, 2883, 2880, 2853, 2852, 2869, 2879, 2216, 2239, 2173, 1413, 2234, 2200, 2135(P), 2197, 2221, 1277, 2255, 2257, 2198 & 2189, कुल रकबा - 28.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रैयती) खाता सं. 420, 419, 418, 422, 95, 244, 161, 299, 296, 227, 47, 79, 84, 48 & 297 के अधीन प्लॉट सं: 2884, 2895, 2874, 2883, 2880, 2853, 2852, 2869, 2879, 2216, 2239, 2173, 1413, 2234, 2200, 2135(P), 2197, 2221, 1277, 2255, 2257, 2198 & 2189, कुल रकबा - 28.00 एकड़ भूमि के तहत पूर्व में प्रकाशित नियोजन विज्ञापन श्री सुशील कुमार पांडे पिता दिनेश्वर पांडे एवं 12 अन्य (दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2019 को प्रकाशित) के आलोक में श्री पवन कुमार ओझा पिता राम प्रसाद ओझा पति अर्चना देवी दामाद श्री सुदामा पांडे निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

